

# सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत शुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "अ.सी.शु." से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क के विषय में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

## क. अतिरिक्त सीमाशुल्क :

उन सभी मर्दों पर, जो भारत में आयात की जाती हैं, 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमाशुल्क उद्गृहीत करने के लिए समर्थकारी शक्ति प्राप्त की जा रही है। यह उद्ग्रहण विक्रय कर, प्रस्तावित राज्य मू.व.क. (वैट) केन्द्रीय विक्रय कर, जैसे आन्तरिक करों की आशिक रूप से प्रतिपूर्ति करने के लिए होगा जो भारत में माल के विक्रय, क्रय या परिवहन को लागू होते हैं। आरंभ में, यह अतिरिक्त शुल्क केवल आई.टी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी करार) आबद्ध मर्दों पर और इलैक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी मर्दों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट इनपुट/कच्ची सामग्रियों पर, जिन्हें सीमाशुल्क से छूट प्रदान की गई है, प्रभारित किया जाएगा। यह सीमा शुल्क प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर पर प्रभारित नहीं किया जाएगा। यह अतिरिक्त शुल्क आयातित माल पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण के लिए निर्धारणीय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विनिर्माता अपने परिसज्जित उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए इस अतिरिक्त शुल्क का प्रत्यय लेने में समर्थ होंगे।

## ख. मूल्यानुसार कम की गई सीमाशुल्क की अधिकतम दर :

(क) गैर-कृषि उत्पादों पर सीमाशुल्क की अधिकतम दर कुछ अपवादों सहित 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

(ख) वस्त्र फैब्रिकों और पोशाकों पर मूल्यानुसार सीमाशुल्क के संघटक को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। तथापि, सीमाशुल्क के विनिर्दिष्ट संघटक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

## ग. धातु और उनके इनपुट :

(I) निम्नलिखित धातुओं के प्रारंभिक और अर्ध-परिसज्जित रूपों पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है:-

(क) स्टेनलैस इस्पात, अन्य मिश्रातु इस्पात और अन्य लौह मिश्रातु;

(ख) ऐलुमिनियम;

(ग) तांबा;

(घ) अभ्रक;

(ङ) टिन;

(च) अध्याय 81 की आधारी धातु (जैसे टंगस्टेन, मैगनेशियम, कोबाल्ट, टिटानियम, आदि)।

(II) सीसा पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, सीसा की वस्तुओं पर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और बैटरी पृथक्त्रों पर 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(III) निष्पादित ऐलुमिना पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

## घ. इस्पात के विनिर्माण के लिए इनपुट :

निम्नलिखित पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है:-

(क) उच्चतापसह माल और ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स;

(ख) उच्चतापसह माल अर्थात् प्राकृतिक ग्रेफाइट पाउडर, ऐलुमिनी सीमेन्ट, बोरोन कारबाइड, अभिक्रियाशील ऐलुमिनी, सिलिकान धातु (99 प्रतिशत शुद्धता), माइक्रो धूम्रित सिलिका, भूरा संगलित ऐलुमिनी, संगलित जिरकानिया, सिलिकान कारबाइड, सोडियम हेक्सामेटा फासफेट, फीनाल रेसिन, सिलरित सारणीबद्ध ऐलुमिनी और संगलित सिलिका के लिए कच्ची सामग्री।

## ङ. भस्म और अवशिष्ट :

तांबा और जिंक की भस्म और अवशिष्टों पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

## च. उत्प्रेरक :

शीर्ष 38.15 के उत्प्रेरकों पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

## छ. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण :

(1) 5 प्रतिशत सीमाशुल्क धन शून्य अ.सी.शु. की रियायती दर, जो वर्तमान में 30.4.2005 तक विनिर्दिष्ट बागान मशीनरी के लिए उपलब्ध है, एक और वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है।

(2) कर्तित पुष्पों पर, जिनमें आरकिड भी हैं, सीमाशुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) लवंग पर सीमाशुल्क 70 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) ओलियो चीड़ रेसिन पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) एल्फा पाइनेन पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत/20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(6) प्रशीतित माल परिवहन यानों पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

## ज. अनुसंधान और विकास:

(1) जैव प्रौद्योगिकी और भेषजीय सेक्टरों के 9 विनिर्दिष्ट उपस्करों पर सीमाशुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

(2) सीमाशुल्क छूट, जो वर्तमान में सरकार या सी. एस. आई. आर. द्वारा पोषित अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए किसी कंपनी के पूंजी माल और कच्ची सामग्री के लिए उपलब्ध है, सी. एस. आई. आर., आर. सी. एम. आर., आई. सी. ए. आर., यू. जी. सी., डी. आर. डी. ओ. और ए. आई. टी. ई. द्वारा पोषित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर भी विस्तारित की गई है।

## झ. सूचना प्रौद्योगिकी :

(1) सूचना प्रौद्योगिकी करार (आई.टी.ए.) के अन्तर्गत आने वाली विनिर्दिष्ट मर्दों को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है। इसी के साथ, सभी 217 आई. टी. ए. आबद्ध मर्दें अब सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं।

- (2) आई. टी. ए. आबद्ध मर्दों के विनिर्माण के लिए आयातित सभी मालों को अंतिम उपभोग अवस्था के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
- (3) विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक संघटकों को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है।
- (4) सूचना और प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए विनिर्दिष्ट पूंजी माल के लिए वर्तमान में उपलब्ध सीमाशुल्क छूट कुछ अधिक पूंजी माल पर विस्तारित की गई है।
- (5) शीर्ष 9001 के आप्टिकल फाइबर/बंडलों और आप्टिकल फाइबर केबलों पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (6) सीमाशुल्क छूट, जो वर्तमान में विनिर्दिष्ट नेटवर्क उपस्कर और उसके पुर्जों के लिए, जब उन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा आयात किया जाता है, 31.3.2005 तक उपलब्ध है, बिना किसी समय सीमा के जारी रखी गई है।

**ज. पेट्रोलियम उत्पाद :**

- (1) अपरिष्कृत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमाशुल्क निम्न रूप में घटाया गया है:
  - (क) अपरिष्कृत पेट्रोलियम 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक;
  - (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किरोसिन 5 प्रतिशत से शून्य तक;
  - (ग) घरेलू उपयोग के लिए एल. पी. जी. 5 प्रतिशत से शून्य तक;
  - (घ) मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक;
  - (ङ) उच्च गति डीजल तेल 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक; और
  - (च) अन्य पेट्रोलियम उत्पाद 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक;
- (2) मोटर स्पिरिट और उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क 1.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 2 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

**ट. रसायन और पेट्रो रसायन :**

- (1) एथीलीन के बहुलक (एलडीपीई, एलएलडीपीई, एचडीपीई, एलएचडीपीई, एलएमडीपीई), पोलिप्रोपाइलीन और प्रोपाइलीन सहबहुलक, स्टाइरीन के बहुलक और सहबहुलक तथा विनाइल क्लोराइड के बहुलक पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है;
- (2) इथाइलीन, प्रोपाइलीन, बुटाइलीन, ब्यूटाडीन, बेन्जीन, टॉलबीन, ओजाइलीन स्टाइरीन, इथाइल बेंजीन, इथाइलीन डाइक्लोराइड, विनाइल क्लोराइड मोनोमर और एक्राइलोनोइड्राइल पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (3) शीर्ष 2901 से 2904 तक के अन्तर्गत आने वाले अन्य कार्बनिक रसायनों पर सीमाशुल्क को घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (4) इथाइल विनाइल एसीटेड पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (5) शीरा पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (6) औद्योगिक (डिनेचर्ड) इथाइल ऐल्कोहल पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

**ठ. पूंजी माल :**

- (1) एक या द्वि-ध्रुवीय झिल्ली इलेक्ट्रोलाइसर्स और उनके पुर्जों पर 5 प्रतिशत का सीमाशुल्क, जो वर्तमान में कास्टिक सोडा उद्योग के लिए उपलब्ध है, कास्टिक पोटाश उद्योग पर विस्तारित किया गया है।
- (2) रेल लोकोमोटिव, रेल रोलिंग स्टॉक और रेल उपस्कर तथा उनके पुर्जों (अध्याय 86) पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (3) 5 प्रतिशत सीमाशुल्क की रियायती दर जो वर्तमान में चर्म/जूतादि उद्योग में उपयोग के लिए अभिकल्पित विनिर्दिष्ट माल के लिए उपलब्ध है, को 7 और विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर विस्तार किया गया है।
- (4) मुद्रणालयों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (5) विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल्स मशीनरी और ऐसी मशीनरी के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री तथा पुर्जों पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (6) अन्तर्देशीय आधान डिपो (आईसीडी)/आधान भाड़ा केन्द्र (सीएफएस) में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी/उपस्कर पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (7) निर्यात के लिए चर्म माल, यात्रा माल, जूतादि, के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट इनपुटों के लिए सीमाशुल्क छूट विद्यमान 3 प्रतिशत समग्र मूल्य सीमा के अधीन रहते हुए, कुछ और मर्दों पर भी विस्तारित की गई है।

**ड. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) :**

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की पुनःपूर्ति के लिए, आयातित अपरिष्कृत तेल पर 50 रुपए प्रति मीटरी टन का शुल्क और पोलिस्टर फिलामेन्ट सूत, मोटरकारों, बहुपयोगी यानों और दुपहियों पर 1 प्रतिशत का शुल्क वित्त अधिनियम, 2003 में अधिरोपित किया गया था। यह उदग्रहण एक वर्ष के लिए (29-2-2004 तक) विधिमन्य था और तत्पश्चात् इसे 31.3.2005 तक विस्तारित किया गया था। इस उदग्रहण को बिना किसी समय सीमा के विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

**ढ. सामान :**

यात्री सामान पर सीमाशुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

**ण. प्रकीर्ण :**

- (1) पुरानी मोटर कारों/मोटर साइकिलों पर सीमाशुल्क को 105 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किया गया है।
- (2) उच्च भस्म अंतर्वस्तु (12 प्रतिशत या अधिक) के कोककारी कोयले पर सीमाशुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
- (3) बोरोन अयस्क पर सीमाशुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
- (4) वायुमंडलीय जल जनित्रों पर सीमाशुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
- (5) बैटरी चालित सड़क पर चलने वाले यानों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर सीमाशुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है।